भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2384

सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण और मुआवजा

2384. श्री वरुण चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वर्षवार और राज्यवार मुआवजा संबंधी कितने मामले पंजीकृत हुए हैं और कितने मामले निपटाए गए हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान संवितरित की गई मुआवजे की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारम्भ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और सहयोग प्रदान करना है।

29 जुलाई, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.97 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है।

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुबन्ध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अनुरूप, अनुग्रह राशि के माध्यम से ई-श्रम पर आकस्मिक मृत्यु/नि:शक्तता दावों को प्रोसेस करने संबंधी दिशानिर्देश 24.08.2023 को जारी किए गए। दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 26.08.2021 से 31.03.2022 के बीच ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों और उक्त अवधि के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए कामगार, आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण अपूरणीय नि:शक्तता की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक अपूरणीय नि:शक्तता की स्थिति में एक लाख रुपये के पात्र होंगे।

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-श्रम के अंतर्गत अनुग्रह राशि लाभ का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुबध-II में दिया गया है।

* *   *****

अनुबंध- I

"ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण और मुआवजा" के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 29.07.2025 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्यवार और वर्षवार विवरण :

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2022	2023	2024	2025
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10,926	2,186	1,870	2,010
2	आंध्र प्रदेश	53,35,622	1,70,074	92,328	4,68,400
3	अरुणाचल प्रदेश	95,410	5,305	54,604	9,955
4	असम	19,98,205	2,22,198	4,67,467	1,26,992
5	बिहार	1,26,20,753	3,98,940	6,80,287	4,04,206
6	चंडीगढ़	71,010	3,442	7,714	2,871
7	छत्तीसगढ़	27,53,607	1,40,097	1,51,333	67,445
8	दिल्ली	15,42,248	80,270	1,52,706	90,014
9	गोवा	42,012	14,491	9,851	6,844
10	गुजरात	57,76,917	23,96,258	3,94,476	2,74,747
11	हरियाणा	25,71,540	46,464	68,543	44,768
12	हिमाचल प्रदेश	11,19,018	28,813	32,479	19,282
13	जम्मू और कश्मीर	15,30,314	73,193	1,22,193	47,771
14	झारखंड	25,36,459	1,59,991	3,28,091	83,209
15	कर्नाटक	49,80,082	5,63,811	25,81,511	4,23,963
16	केरल	11,23,035	37,443	69,908	54,912
17	लद्दाख	23,368	3,334	1,734	1,220
18	लक्षद्वीप	2,263	102	303	35
19	मध्य प्रदेश	1,22,08,686	5,74,658	10,82,737	4,29,377
20	महाराष्ट्र	96,81,137	6,68,817	33,13,422	4,78,299
21	मणिपुर	66,512	24,830	23,764	10,653
22	मेघालय	1,63,825	25,859	16,798	25,901
23	मिजोरम	49,772	5,072	1,830	7,260
24	नागालैंड	34,224	2,542	10,863	6,667
25	ओडिशा	6,09,564	48,014	1,79,804	54,722
26	पुदुचेरी	71,787	7,081	6,408	5,073
27	पंजाब	8,01,714	83,664	1,97,814	84,410
28	राजस्थान	89,69,134	6,33,121	9,42,996	5,56,125
29	सिक्किम	18,390	13,626	5,448	6,525
30	तमिलनाडु	37,71,438	2,39,373	3,69,465	3,86,955
31	तेलंगाना	21,45,618	2,73,329	1,55,069	83,180
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	34,566	723	1,017	967
33	त्रिपुरा	1,40,523	20,031	22,451	10,174
34	उत्तर प्रदेश	2,00,26,516	2,75,511	5,13,367	2,18,238
35	उत्तराखंड	20,56,409	32,492	52,103	27,162
36	पश्चिम बंगाल	23,18,784	4,34,537	2,34,555	69,621

अनुबंध- II

"ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण और मुआवजा" के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 29.07.2025 तक चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-श्रम के अंतर्गत अनुग्रह लाभ का राज्यवार और वर्षवार विवरण :

क्र. सं.	राज्य	2023		2024		2025		कुल	
		अनुमोदित	निपटान किए गये	अनुमोदित	निपटान किए गये	अनुमोदित	निपटान किए गये	अनुमोदित	निपटान किए गये
1	आंध्र प्रदेश	55	49	96	94	4	2	**155**	**145**
2	असम					2		**2**	**0**
3	बिहार	1	1	5	5	1		**7**	**6**
4	चंडीगढ़					1		**1**	**0**
5	छत्तीसगढ़			21	20			**21**	**20**
6	गुजरात	17	17	58	54	4	3	**79**	**74**
7	हरियाणा	1	1	16	16	3	1	**20**	**18**
8	हिमाचल प्रदेश			4	4	2		**6**	**4**
9	जम्मू और कश्मीर			3		1	1	**4**	**1**
10	झारखंड	27	24	62	57	1	1	**90**	**82**
11	कर्नाटक	19	18	12	12			**31**	**30**
12	केरल			22	20	1		**23**	**20**
13	मध्य प्रदेश			11	11	1	1	**12**	**12**
14	महाराष्ट्र			2	2	5	2	**7**	**4**
15	ओडिशा					3		**3**	**0**
16	पंजाब					7		**7**	**0**
17	राजस्थान			17	15	10	1	**27**	**16**
18	तमिलनाडु			13	13	7	5	**20**	**18**
19	तेलंगाना			24	18	2	2	**26**	**20**
20	त्रिपुरा			5	5			**5**	**5**
21	उत्तर प्रदेश			165	149	40	13	**205**	**162**
22	उत्तराखंड			8	5	3	3	**11**	**8**
कुल योग		**120**	**110**	**544**	**500**	**98**	**35**	**762**	**645**

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुग्रह राशि दावे।

29.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम में अनुग्रह लाभ के अंतर्गत जारी राशि का वर्षवार विवरण।

वित्तीय वर्ष	**राशि (करोड़ में)**
2023-24	6.79
2024-25	5.20
2025-26	2.46

*****